

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प० ३(७७)नविवि / ३ / २०१०

लायपुर, दिनांक :— ११.०५.२०११

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी—२०१० व Policy for Residential, Group Housing and other Schemes in the Private Sector, २०१० में पहुंच सड़क, नाले का निर्माण, रोड़ लाईटिंग, वृक्षारोपण आदि कार्य कराने के लिये बाह्य विकास शुल्क (ई.डी.सी.) विकासकर्ता से लिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्न दरों निर्धारित है :—

- (i) २००१ की जनगणना के आधार पर १ लाख तक की आबादी के शहरों के लिए — १०० प्रति व.मी.
- (ii) २००१ की १ लाख से अधिक परन्तु १० लाख तक की आबादी के शहरों के लिए — १५० प्रति व.मी.
- (iii) २००१ की १० लाख से अधिक की आबादी के शहरों के लिए — २०० प्रति व.मी.

यह राशि विशेष रूप से बड़ी योजनाओं/ग्रुप हाउसिंग की योजनाओं के लिये बहुत अधिक हो जाती है तथा विकासकर्ताओं को यह राशि देने में कठिनाई होती है। विकासकर्ताओं द्वारा बाह्य विकास शुल्क किश्तों में लिये जाने की मांग की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुये यह तय किया गया है कि यदि सम्पूर्ण योजना की बाह्य विकास शुल्क (ई.डी.सी.) की राशि जमा करायी जाती है तो इसे चार किश्तों में Post dated Cheques के माध्यम से प्राप्त की जावें, जो निम्न प्रकार देय होगी :—

| किश्त         | राशि       | अवधि                           |
|---------------|------------|--------------------------------|
| प्रथम किश्त   | २५ प्रतिशत | अनुमोदन के समय                 |
| द्वितीय किश्त | २५ प्रतिशत | अनुमोदन से ६ माह की अवधि में।  |
| तृतीय किश्त   | २५ प्रतिशत | अनुमोदन से ९ माह की अवधि में।  |
| चौथी किश्त    | २५ प्रतिशत | अनुमोदन से १२ माह की अवधि में। |

ले—आउट प्लान/साईट प्लान/ग्रुप हाउसिंग प्लान जारी किये जाने से पूर्व विकासकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार किश्तों के ४ Post dated cheques स्थानीय निकाय में जमा कराने होंगे। प्रथम किश्त की राशि स्थानीय निकाय के खाते में जमा होने पर पट्टा तथा ले—आउट प्लान जारी किया जा सकेगा। विकासकर्ता द्वारा किसी भी किश्त की राशि जमा कराने में विलम्ब होने पर विलम्बित अवधि के लिये १२ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जावेगा। इसके साथ ही यदि विकासकर्ता द्वारा बाह्य विकास शुल्क की राशि एक मुश्त One time / Down Payment के रूप में अनुमोदन के समय जमा करायी जाती है तो २० प्रतिशत की छूट (Rebate) दी जावेगी। यदि योजना के प्रत्येक भूखण्ड की अलग—२ समय पर बाह्य विकास शुल्क की राशि जमा करायी जाती है तो कोई छूट देगा नहीं होगी। पूर्व में जमा करायी गई बाह्य विकास शुल्क की राशि लौटायी नहीं जायेगी।

हं

(गुरदयाल सिंह संघ)  
प्रमुख शासन सचिव